

**समाहरणालय, मधेपुरा**

(जिला गोपनीय शाखा)

मो० सोहैल, भा०प्र०से०, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 04-07-2016 को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की गयी सोमवारीय (Monday Meeting) बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार।

(2) अनुपस्थित पदाधिकारी

समीक्षा के क्रम में निम्नांकित पदाधिकारी बैठक से अनुपस्थित पाये गये :-

क्र०	संबंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1.	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा	अवकाश में।
2.	जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा	अवकाश में।
3.	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा	अवकाश में।
4.	भूमि विकास बैंक, मधेपुरा	अवकाश में।
5.	जिला खनन पदाधिकारी, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।

प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछ जाए।

(अनुपालन-प्रभारी पदा०, जिला गोपनीय शाखा)

➤ सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत किया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(3) जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों के साथ अंतर विभागीय समन्वय बैठक हेतु निम्नांकित विभागों की समीक्षा विभागवार की गयी :-

क्र०	संबंधित विभाग /पदा० का नाम	इस सप्ताह में किए जाने वाले कार्य
1.	(शिक्षा) जिला शिक्षा पदा०, मधेपुरा	<p>समीक्षा के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ग्रीष्माकाश के बाद सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय खुल गये हैं।</p> <p>वेतन भत्ता के बारे में बताया गया कि 3 महीना का आवंटन प्राप्त हो गया है, संबंधित नियोजन इकाई द्वारा जैसे ही शिक्षकों के मानदेय /वेतन भुगतान हेतु प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तत्पश्चात् वेतन भुगतान की कार्रवाई की जाती है। निदेश दिया गया कि प्राप्त आवंटन के विरुद्ध अविलम्ब नियमानुसार शिक्षकों का मानदेय /वेतन भुगतान करना सुनिश्चित करें तथा आज संध्या में प्रतिवेदन उपलब्ध करावें कि कितने विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन का भुगतान प्राप्त हो चुका है।</p> <p><u>प्रोन्नति /स्थानांतरण :-</u> जिला शिक्षा पदा० द्वारा बताया गया कि दिनांक 28-06-2016 को इस संबंध में बैठक आयोजित की गयी थी, जिसे अपरिहार्य कारणवश पुनः दिनांक 05-07-2016 को बैठक आहूत की गयी है, जिसमें समीक्षा कर प्रोन्नति /स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी।</p> <p>जिला शिक्षा पदाधिकारी से पृच्छा की गयी एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालय जांच से संबंधित प्रपत्र तैयार कर ली गयी है, तो अविलम्ब उपलब्ध करावें, ताकि इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा सके।</p>

2.	(मध्याह्न भोजन) जिला कार्यक्रम पदा0, मध्याह्न भोजन, मधेपुरा	जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 30-06-2016 को अथोहस्ताक्षरी के मोबाईल पर एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि लगभग 37 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन विभिन्न कारणों यथा- खाद्यान्न की कमी, स्थानीय कारण, रसोईयों की अनुपलब्धता, विद्यालय शिक्षा समिति आदि कारणों से बंद पाया गया। इस संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से पृच्छा की गयी कि उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है, तो संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका, जिस पर श्रेय प्रकट किया गया एवं निदेश दिया गया कि मध्याह्न भोजन प्रतिदिन सुचारु रूप से संचालन हो, इसे हरहाल में सुनिश्चित करें, एक भी विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना बंद नहीं हो, अन्यथा दोषी कर्मी /पदाधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को निर्देशित किया गया कि अपने स्तर से भी इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि 109 विद्यालयों में एल0पी0जी0 का कनेक्शन दे दिया गया है।
3.	(एस0एफ0सी0), जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मधेपुरा	समीक्षा के क्रम में जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि 17,500 एम0टी0 के विरुद्ध 14,108 एम0टी0 चावल प्राप्त हुआ है। निदेश दिया गया कि 03:00 बजे अप0 तक विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आलमनगर एवं उदाकिशुनगंज की स्थिति बहुत ही खराब है। निदेश दिया गया कि आलमनगर एवं उदाकिशुनगंज गोदाम प्रबंधक के स्थानांतरण हेतु संविका अथोहस्ताक्षरी के समक्ष आज ही उपस्थापित करें।
4.	(कल्याण) जिला कल्याण पदाधिकारी	समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला कल्याण पदाधिकारी अभी तक योगदान नहीं किए हैं। जिला स्थापना उप समाहर्ता, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि जितने भी पदाधिकारी या पदस्थापन इस जिला में हुआ है, उन पदाधिकारियों के तत्काल योगदान हेतु संबंधित जिला के जिलाधिकारी को अनुरोध पत्र अथोहस्ताक्षरी के स्तर से निर्गत करना सुनिश्चित करें।
5.	(योजना) जिला योजना पदा0 /कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा	समीक्षा के क्रम में जिला योजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि एम0पी0लैड्स के जितने भी योजना है, उन सभी को जिले के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। जिला योजना पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना मद में आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि लेखापाल के नहीं रहने के कारण उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को नहीं भेजा गया है, जिसके कारण आवंटन प्राप्त नहीं हुआ। जिलाधिकारी द्वारा जिला योजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता से सम्पर्क स्थापित करें एवं संबंधित लेखापाल को बुलाकर दो दिनों के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कर नियमानुसार विभाग को भेजना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन प्रतिवेदन आगामी सोमवारीय बैठक में उपलब्ध करावें। सांसद आदर्श यादव योजना के संबंध में नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश जिला योजना पदाधिकारी को दिया गया।

6.	(इडा) कार्यपालक अभि०, इडा /जिला योजना पदा०	<p>समीक्षा के क्रम में जिला योजना पदा० द्वारा बताया गया कि इडा मद में सभी राशि हस्तांतरित कर दी गयी है, मात्र कला मंच का शेष है, वह भी ससमय हो जाएगा। बताया गया कि कुछ राशि का चेक जिला नजारत में लंबित है। जिला नजारत उप समाहर्ता को निदेश दिया गया कि अविलम्ब नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।</p> <p>यह भी निदेश दिया गया कि दिनांक 31-07-2016 तक हरहाल में सभी योजनाओं को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें एवं निकासी किए गए राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र, डी०सी० विपत्र आदि का नियमानुसार समायोजन करना सुनिश्चित करें।</p>
7.	(आपदा) प्रभारी पदाधिकारी, आपदा	<p>जिलाधिकारी द्वारा प्रभारी पदाधिकारी, आपदा को निदेश दिया गया कि समाहरणालय परिसर में खराब नाव को नियमानुसार ठीक कराकर चौसा अथवा आलमनगर अंचल को तुरंत भेजना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 12-07-2016 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार द्वारा आपदा की समीक्षा की जाएगी, फलस्वरूप सभी तैयारी अभी से ही करने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, आपदा को दिया गया।</p>
8.	(सामाजिक सुरक्षा) सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा	<p>समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा की गयी कि ई-लाभार्थी की क्या स्थिति है, तो सहायक निदेशक द्वारा बताया गया कि आज की तिथि में 40,456 लाभार्थी का इन्ट्री हो चुका है, जबकि पुरैनी प्रखण्ड के लाभार्थी का इन्ट्री मात्र 744 ही हुआ है। इस हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुरैनी से सम्पर्क स्थापित कर, अधिक से अधिक इन्ट्री कराने हेतु कई बार पत्राचार भी किया गया है, किन्तु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई अभिलुची नहीं ली जा रही है। अन्य प्रखण्ड की स्थिति लगभग ठीक है। जिलाधिकारी द्वारा सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि इस संबंध में जितने भी पत्र निर्गत किए गए हैं, उन सभी की प्रति लगाकर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुरैनी के विरुद्ध प्रपत्र 'क' गठित कर ग्रामीण विकास विभाग को कार्रवाई हेतु अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन से अवगत करावें।</p>
9.	(महिला हेल्पलाईन) परियोजना प्रबंधक, महिला हेल्पलाईन, मधेपुरा	<p>समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि महिला हेल्पलाईन में बहुत सारे मामलें लंबित हैं, फलस्वरूप इसकी अलग से समीक्षा की जाएगी। परियोजना प्रबंधक, महिला हेल्पलाईन, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि महिला हेल्पलाईन की बैठक हेतु संचिका के माध्यम से तिथि निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करें।</p>
10.	(आई०सी०डी०एस०) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी	<p>समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा की गयी कि सेविका /सहायिका के चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित की गयी थी, उसकी क्या स्थिति है, तो इस संबंध में डी०पी०ओ०, आई० सी०डी०एस० द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा 2016 का नया मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया है, उसी के अनुरूप चयन की प्रक्रिया किया जाना है। निदेश दिया गया कि नये एवं पुराने मार्गदर्शन में निहित निदेश के आलोक में अविलम्ब अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा अनुपालन से एक सप्ताह के अंदर अवगत करावें। साथ ही इस आशय का सूचना समाचार पत्र में भी नियमानुसार प्रकाशित कराने की कार्रवाई की जाए।</p>

